

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

मांग संख्या 66

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मुख्य शीर्ष										
राजस्व		925.00	13.83	938.83	575.00	14.38	589.38	1615.00	16.50	1631.50
पूँजी		75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	125.00	...	125.00
जोड़		1000.00	13.83	1013.83	650.00	14.38	664.38	1740.00	16.50	1756.50
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	0.50	5.26	5.76	0.34	5.74	6.08	0.50	7.24	7.74
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण										
2. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को अनुदान सहायता	2225	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	115.00	...	115.00
3. अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध स्कीम	2225	8.70	...	8.70	7.45	...	7.45	10.44	...	10.44
	3601	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.24	...	0.24
	3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.12	...	0.12
	जोड़	9.00	...	9.00	7.75	...	7.75	10.80	...	10.80
4. अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन की विकास स्कीम	2225	4.50	...	4.50	8.45	...	8.45	12.70	...	12.70
5. पूर्व-स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्तियाँ	3601	110.82	...	110.82	57.62	...	57.62	88.75	...	88.75
	3602	1.40	...	1.40	0.72	...	0.72	1.11	...	1.11
	2225	0.18	...	0.18	0.10	...	0.10	0.14	...	0.14
	जोड़	112.40	...	112.40	58.44	...	58.44	90.00	...	90.00
6. अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	3601	70.72	...	70.72	70.72	...	70.72	176.99	...	176.99
	3602	1.02	...	1.02	1.02	...	1.02	2.58	...	2.58
	2225	0.16	...	0.16	0.16	...	0.16	0.43	...	0.43
	जोड़	71.90	...	71.90	71.90	...	71.90	180.00	...	180.00
7. अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्ति	3601	88.43	...	88.43	61.90	...	61.90	132.79	...	132.79
	3602	1.27	...	1.27	0.89	...	0.89	1.91	...	1.91
	2225	0.20	...	0.20	0.14	...	0.14	0.30	...	0.30
	जोड़	89.90	...	89.90	62.93	...	62.93	135.00	...	135.00
8. चुनिंदा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	3601	476.80	...	476.80	245.89	...	245.89	873.00	...	873.00
	3602	4.50	...	4.50	4.00	...	4.00	8.00	...	8.00
	2225	4.50	...	4.50	2.00	...	2.00	8.50	...	8.50
	जोड़	485.80	...	485.80	251.89	...	251.89	889.50	...	889.50
9. अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	3601	...	...	...	...	...	...	0.05	...	0.05
	3602	...	...	...	...	...	...	0.05	...	0.05
	2225	...	...	...	...	...	...	13.40	...	13.40
	जोड़	...	...	...	...	...	...	13.50	...	13.50
10. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम(एनएमडीएफसी)कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे राज्य सरणीकरण अभिकरणों (एससीए) को सहायता अनुदान	2225	4.50	...	4.50	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80
जोड़ - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण										
अन्य सामाजिक सेवाएं		838.00	...	838.00	523.16	...	523.16	1448.30	...	1448.30
11. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	2250	...	1.53	1.53	...	1.74	1.74	...	1.98	1.98
12. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	2250	...	4.04	4.04	...	4.55	4.55	...	5.28	5.28
जोड़ - अन्य सामाजिक सेवाएं		...	5.57	5.57	...	6.29	6.29	...	7.26	7.26
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
13. अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास योजना	2235	...	...	...	...	...	...	7.10	...	7.10
	3601	...	...	...	...	...	...	0.05	...	0.05
	3602	...	...	...	...	...	...	0.05	...	0.05
	जोड़	...	...	...	...	...	...	7.20	...	7.20
14. वक्फ को सहायता अनुदान	2235	...	3.00	3.00	...	2.35	2.35	...	2.00	2.00
15. राज्य वक्फ बोर्ड के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण	2235	...	...	...	...	...	...	9.00	...	9.00

सं.66/ अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

(करोड़ रुपए)											
		बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
विकास शीर्ष		बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	
16. सरकारी उद्यमों में निवेश	4225	67.50	...	67.50	67.50	...	67.50	112.50	...	112.50	
जोड़ - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		67.50	3.00	70.50	67.50	2.35	69.85	128.70	2.00	130.70	
17. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एक-मुश्त प्रावधान	2552	86.50	...	86.50	51.50	...	51.50	150.00	...	150.00	
	4552	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	12.50	...	12.50	
जोड़		94.00	...	94.00	59.00	...	59.00	162.50	...	162.50	
कुल जोड़		1000.00	13.83	1013.83	650.00	14.38	664.38	1740.00	16.50	1756.50	
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	
16. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	22225	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	125.00	...	125.00	
ग. आयोजना परिच्यय केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	0.50	...	0.50	0.34	...	0.34	0.50	...	0.50	
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	838.00	...	838.00	523.16	...	523.16	1448.30	...	1448.30	
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22235	67.50	...	67.50	67.50	...	67.50	128.70	...	128.70	
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	94.00	...	94.00	59.00	...	59.00	162.50	...	162.50	
जोड़ - केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना		1000.00	...	1000.00	650.00	...	650.00	1740.00	...	1740.00	

1. **सचिवालय** : यह प्रावधान अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है।

2. **मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान** : मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर-राजनीतिक, लाभ न कमाने वाली, सामाजिक सेवा संस्था है, जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है। प्रतिष्ठान की आय का एक मात्र स्रोत भारत सरकार द्वारा दी गई संचित निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज राशि है। प्रतिष्ठान की योजनाएं वर्तमान संस्थानों के विस्तार और उन्नयन तथा पिछड़े अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए हैं।

3. **कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना** : इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को अपने ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने हेतु अवसर प्रदान करके उनकी सहायता करना है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी/निजी क्षेत्र की नौकरियों में तथा ख्यातिप्राप्त संस्थानों में प्रवेश पा सकें। इसमें अभ्यर्थियों को अपना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उपचारात्मक कोचिंग प्रदान करने का प्रावधान भी है।

4. **अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना** : इस योजना का उद्देश्य, 15-सूत्री कार्यक्रम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ योजनाओं और कार्यक्रमों का अध्ययन, मूल्यांकन और निगरानी करना तथा साथ ही साथ ऐसे कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों से संबंधित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए गहन मल्टी-मीडिया अभियान चलाना भी है।

5. **पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मैरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियाँ** : यह छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जाएगी, जो समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए मैरिट-सह-साधन की पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

6. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति** : मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जाएगी, जो समुचित प्राधिकरण

द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 10वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

7. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति** : मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जाएगी, जो 11वीं तथा 12वीं कक्षा और तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए मैरिट-सह-साधन की पात्रता मानदंड पूरा करते हैं। यह छात्रवृत्ति उन पात्र छात्रों को भी प्रदान की जाएगी, जो किसी समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय/कॉलेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, पी.एचडी स्तर की सामान्य पाठ्यक्रम की शिक्षा पूरी करना चाहते हैं।

8. **अल्पसंख्यक बहुल चयनित जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम** : बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य, अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित उन 90 जिलों में एक आधारभूत सर्वेक्षण द्वारा "अल्प विकास" की समस्या का समाधान करना है, जिन में अल्पसंख्यकों की अच्छी-खासी आबादी है।

10. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के कार्यक्रम के कार्यान्वयन कार्य में लगे राज्य सरणीकरण अभिकरणों को सहायता अनुदान** : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, राज्य सरणीकरण अभिकरणों के माध्यम से प्रचालन करता है। राज्य सरणीकरण अभिकरण अवसंरचना, श्रम शक्ति और संसाधनों के अभाव से ग्रस्त हैं, जिस कारण ये अपना कार्य प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रहे। इन राज्य सरणीकरण अभिकरणों को अपनी कार्यक्षमता और कार्य संचालन की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा।

11 और 12. **अन्य समाजिक सेवाएं** : यह प्रावधान, भाषाई अल्पसंख्यक और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में विशेष अधिकारी पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए है।

13. **अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास की योजना** : सचर समिति रिपोर्ट में इस तथ्य का विशेष उल्लेख है कि 13.83 करोड़ की आबादी वाले भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह मुस्लिमों को विकास पथ से अलग रखा गया है। इस समूह में मुस्लिम महिलाएं अत्यधिक उपेक्षित एवं लाभ वंचित हैं। विकास कार्य का लाभ इन वंचित महिलाओं को भी पहुंचे, यह सुनिश्चित

करने के लिए एक पायलट योजना की तरह केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के माध्यम से ऐसी महिलाओं को मदद और नेतृत्व-प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास किया जाएगा ताकि वे अपने घर-समाज से बाहर आकर सेवा, कौशल और अवसर का लाभ उठाने के लिए आगे आकर अपनी नेतृत्व की भूमिका निभा सकें। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से स्थानांतरित हो गई है।

14. वक्फ को सहायता अनुदान: इसमें तीन योजनाएं शामिल हैं। इन तीन योजनाओं में से वक्फ को सहायता अनुदान नामक एक योजना अभी चल रही है, जो शहरी वक्फ परिसम्पत्तियों के विकास के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद को अनुदान सहायता देने की योजना है, जिसे वर्ष 2009-10 के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है। वित्त वर्ष 2009-10 में दो नई योजनाएं प्रारंभ करना प्रस्तावित है:- (i) केन्द्रीय वक्फ परिषद को प्रशासनिक व्यय की पूर्ति हेतु

सहायता अनुदान और (ii) राज्य वक्फ बोर्डों को उनके अपने प्रशासनिक व्ययों के लिए राज्य सरकार के साथ भागीदारी अनुपात में सहायता अनुदान।

15. राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण: इस नई योजना का कार्यान्वयन वक्फों से सम्बद्ध संयुक्त संसदीय समिति द्वारा 9वें प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसाओं के अनुसरण में किया जाना है। इस योजना के तहत राज्य वक्फ बोर्डों को अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी जो वित्तीय सहायता की निगरानी कार्य और उनके समुचित उपयोग के लिए जिम्मेदार होगा।

16. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश : यह प्रावधान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को शेयर पूंजी उपलब्ध कराने के लिए है।

17. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान : यह प्रावधान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।